

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।
(अनुमोदन हेतु प्रारूप)

प्रेषक,

ई० सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
संरचना प्रमंडल संख्या:-3,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक:-.....2023

विषय:- Related to Internship/Industrial Training/Summer Entrepreneurship के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक:-19.12.2022 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजकीय एवं निजी पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को 5th सेमेस्टर में एक माह के Summer/vocational/Internship Training से संबंधित बैठक हुई थी, बैठक में पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। Government Polytechnic Tekari, Gaya, Government Polytechnic Sheikhpura R.P. Sharma Institute of Technology, Patna-801503 एवं Nitaji Subhas Institute of Technology से Internship अनुसंशा आयी है अनुसंशा एवं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित छात्रों को संरचना प्रमंडल संख्या:-3, भवन निर्माण विभाग, पटना के अन्तर्गत चल रहे Projects से जुड़कर प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है।

S. No.	Name of Student	Roll No, PAR & Registration	Name of College
1.	Shweta Kumari	1411521024	Government Polytechnic Tekari, Gaya
2.	Shikshit Manoj Singh	511381521026	Government Polytechnic Sheikhpura
3.	Tanu Raushan	511381521602	Government Polytechnic Sheikhpura
4.	Subrat Kumar	511381521606	Government Polytechnic Sheikhpura
5.	Md Khalid	211124	R.P. Sharma Institute of Technology, Patna-801503
6.	Md Kashif	211126	R.P. Sharma Institute of Technology, Patna-801503
7.	Md Syed Anas Afzal	211106	R.P. Sharma Institute of Technology, Patna-801503
8.	Adrash Shkti	87215049	Nitaji Subhas Institute of Technology
9.	Ahutosh kumar Bharti	87215023	Nitaji Subhas Institute of Technology
10.	Ajinky Suman	87215012	Nitaji Subhas Institute of Technology
11.	Annu Kumari	87215026	Nitaji Subhas Institute of Technology

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रशिक्षु छात्रों को पहचान सत्यापन के पश्चात्त प्रशिक्षण करायेगे।

कृ०पृ०उ०

3. छात्रों को योगदान करने एवं आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इन्हे नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई सुविधाएँ एवं भत्ता देय नहीं होगा।

4. छात्रों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

5. छात्रों के ऊपर प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण से तत्काल निष्काषित करते हुये संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सूचित किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् विभाग में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यद्यपि प्रशिक्षण अवधि का परियोजना का नाम एवं अन्य brief शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र Description of Projects के साथ संबंधित प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

अनु0:- अनुरोध पत्र की प्रति।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ई0 सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-.....2023

प्रतिलिपि:- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

(ई0 सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 10333 (अ)

पटना, दिनांक:-.....21/12/.....2023

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ई0 सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

896
20/12/23